न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –147/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2022/176

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सुरेश विश्नोई पुत्र बगडाराम जाति विश्नाई निवासी 170, संजय कॉलोनी, नागौर तहसील व जिला नागौर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर 2. पटवारी हल्का नागौर जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री सोहनलाल लटियाल।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय :: दिनांक :– 22.08.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2022 सरकार बनाम सुरेश विश्नाई में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.05.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील ताबेउज मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.03.2022 को जारी कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांट को नही थी । दिनांक 08.03.2022 को अपीलांट पेशी पर उपस्थित था तथा अपना जवाब मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया। तब अदालत मातहत ने कहा कि इसमे मौके पर जांच करेंगे व नाप चौप भी करवायेंगे, जिसकी जानकारी दे दी जायेगी, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर कोई जांच नही की तथा न ही अपीलांट को तारीख पेशी 21.03.2022 को होना बताया तथा बिना अपीलांट को सूचना दिये, बिना सुनवाई किये अपने मनमाने तरीके से तारीख 21.03.2022 की पेशी दर्ज कर निर्णय जेर अपील आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 29.04.2022 को मामला हाजा में जांच करने हेतु मौका पर आने एवं जानकारी करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में गया तो बताया गया कि मामले में तो दिनांक 21.03.2022 को ही पत्रावली का निर्णय कर दिया गया हैं, तब अपीलांट ने उसी वक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया, जिस पर नकल प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश जेर अपील की दिनांक 02.05.2022 को प्राप्त हुई। इसके उपरांत अपीलांट को अपनी राजकीय सेवा से अवकाश नही मिला। जिससे अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी जानकारी लेकर यह अपील पेश की गई हैं। अपील अपीलांट की जानकारी से अंदर मियाद है। अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट अन्दर मियाद में शुमार की जावें।

राजकीय पैरोकार ने मियाद के बिन्दू पर यह कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 21.03.2022 को होते हुवे भी यह विलम्ब से अपील पेश की गई हैं। अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट को अन्दर मियाद शुमार माना जाता हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने दिनांक 01.02.2022 को नोटिस दिया कि कृषि वर्ष 2078 के दौरान नागौर तहसील के ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 267 गैर मुमकिन तालाब क्षेत्रफल 1352 वर्गफुट पर अपीलांट ने कब्जा किया हैं, जिसका जवाब अपीलांट ने दिनांक 08.03.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया। प्रकरण के सही तथ्य यह है कि मुझ अपीलांट का प्लोट नम्बर 170 का पश्चिमी आधा भाग 1345.5 वर्गफुट हैं, जिसमे अपीलांट का पूरा मकान बना हुआ है। नगरपालिका मण्डल, नागौर द्वारा राजस्थान सरकार का सन् 1975 में प्लॉन बनाया जाकर विकसित व नगरपालिका नागौर द्वारा सन् 1984–85 में विक्रय की गई संजय कॉलोनी नागौर की आबादी भूमि खसरा नम्बर 255 में स्थित प्लोट नम्बर 170 का आधा भाग मेरे स्वामित्व की जायगा में है। प्लोट नम्बर 170 जिसका कुल एरिया 2691 वर्गफुट हैं, जो पूर्व स्वामी सहीराम पुत्र श्री खींयाराम विश्नोई निवासी नागौर को दिनांक 26.02.1993 को लीज डीड जारी की गई, जिसका आधा भाग अपीलांट को दिनांक 09.04.2018 को जरिये रजिस्टर्ड वेचान विक्रय किया गया। जिसमे अपीलांट सुरेश ने दिनांक 25.06.2019 को नगरपालिका मण्डल नागौर से भवन निर्माण स्वीकृती प्राप्त कर भवन का निर्माण करवाया तथा परिवार सहित निवास करता है। मेरे भूखण्ड के पश्चिम में नगरपालिका का भूखण्ड संख्या 171 है तथा उसके दक्षिण में नगरपालिका की 40 फुट की रोड है तथा उसके दक्षिण–पश्चिम में नगरपालिका का सार्वजनिक पार्क हैं, जिसमे सन 1986–87 से पीएचईडी द्वारा खोदा गया हेण्ड पम्प हैं, जो पार्क की बनी हुई चारदीवारी के अंदर पश्चिम की तरफ है तथा पूर्व में सन् 1989–90 में पटवारी हल्का लालसिंह व आरआई गंगाधर द्वारा मौके का माप किया गया था, तब यह बताया गया था कि हेण्ड पम्प पर खसरा नम्बर 267 का पूर्वी दक्षिणी छोर स्थित है, जो सेटलमेन्ट के राजस्व नक्शा शीट से भी स्पष्ट है। मौका पर बिना माप किये मनमाने तरीके से पटवारी ने गलत रिपोर्ट देकर अपीलांट के मकान को खसरा नम्बर 267 में गलत रूप से बताया जा रहा हैं, जो सरासर अन्याय है। अपीलांट का मकान खसरा नम्बर 267 में कतई नही है, असल नक्शा शीट से नक्शा ट्रेस कर मुकमिल पाइंट से नाप करवाया जावें। मुकमिल पाइंट जैन सरावगियो के श्मशान की भूमि खसरा नम्बर 270 के पश्चिम की तरफ प्राचीन दीवार सेटलमेन्ट के पहले से बनी हुई है तथा पूर्व में रेल्वे लाईन का पूर्वी छोर सेटलमेन्ट से पूर्व का स्थित है, जो मुकमिल बिन्दू दोनो तरफ शुरू की स्थिति में ही कायम है तथा दोनो के बीच संयुक्त रूप से माप आसानी से किया जा सकता है। जिस पर सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। अपीलांट सुरेश विश्नोई के वैधानिक सही स्वामित्व का प्लोट नम्बर 170 नगरपालिका मण्डल नागौर द्वारा विकसित व विक्रय की गई संजय कॉलोनी नागौर में स्थित है। राजकीय भूमि पर किसी भी तरह से कोई अतिचार एक इंच भूमि पर भी नही किया गया है। नगरपालिका मण्डल नागौर द्वारा योजना बना कर राज्य सरकार से राजस्व भूमि अपने कब्जे में लेकर नागौर रेल्वे लाईन के पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 255, 261, 266, 267 के भू.भाग पर टाउन प्लानर द्वारा प्लान नवशा बनाया गया, जो नगरपालिका नागौर, जिला प्रशासन नागौर व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात नगरपालिका नागौर के हक में उक्त भूमि को आबादी में अलग अलग लोगो को भूखण्ड सन 1984–85 में विक्रय किये, तब से सम्पूर्ण कॉलोनी में आबादी वैधानिक रूप से बसी हुई है। नगरपालिका नागौर के स्वीकृत नक्शा अनुसार की संजय कॉलोनी का पार्क नगरपालिका नागौर द्वारा बाउण्ड्री बनाकर विकसित किया गया, जिसमे राधाकृष्ण मंदिर भी बना हुआ हैं, पीएचईडी की पानी की टंकी बनी हुई है तथा प्राथमिक विद्यालय प्लान अनुसार सन 2000 में राज्य सरकार द्वारा बनाया गया, जहां वर्तमान में जिला प्रशासन व सीएमएचओ नागौर व नगर परिषद द्वारा स्वीकृत जनता क्लीनिक चल रहा है। इस प्रकार सम्पूर्ण कॉलोनी प्लॉन अनुसार बसी हुई विकसित हुई है। मौका पर संजय कॉलोनी प्लॉन की भूमि पर व आस पास कभी कोई तालाब नही रहा हैं तथा न है तथा न ही कोई अंगोर की भूमि है। फिर भी इन तथ्यो, परिस्थितियो, साक्ष्य, रेकर्ड व दस्तावेजो के विपरीतजाकर अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही हाजा में नगरपालिका नागौर द्वारा जारी दस्तावेजो में किसी खसरे का उल्लेख नहीं होने का उल्लेख नही होना, पूर्व राजस्व अधिकारियो द्वारा अनापति में भी खसरे का उल्लेख नही

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

होने व गैर मुमकिन तालाब की भूमि होने व इस प्रकार उक्त भूमि को धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित मानकर अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 21.03.2022 बेदखली व जुर्माना रूपये 5 का आदेश जेर अपील पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत व दस्तावेजो व मौके की स्थिति के विपरीत होने से अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 21.03.2022 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने से भी स्पष्ट है कि पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर अपीलांट को अतिचारी बताने के लिए एक नक्शा बनाया गया है। उसमे भी न तो पडोस अंकित किये हैं, न किसी भी तरह का नाप चौप अंकित किया हैं तथा अपने मनमाने तरीके से लाईने खींचकर अपीलांट को अतिचारी दर्शित कर दिया तथा न ही पटवारी मौके पर गया, अगर पटवारी हल्का मौके पर जाता तो मौके की स्थिति पर अपीलांट के मकान के चारो तरफ नगरपालिका की विकसित व विक्रय की गई संजय कॉलोनी नागौर की पूरी आबादी सन 1984/85 से बसी हुई है, उसका ज्ञान होता व रिपोर्ट में मौके की सही स्थिति दर्शित होती। जिसका अपीलांट के जवाब में पूर्ण विवरण व दस्तावेज पेश किये हुए थे। जिनका विवरण भी अधीनस्थ न्यायालय ने नही दिया, न देखे। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेर अपील न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तो के व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध विना जांच किये होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एव हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया हैं क्योकि वर्तमान प्रकरण में न तो अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही अपीलांट के जवाब का आदेश जेर अपील में विवरण दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जेर अपील पारित किया हैं, जिससे भी आदेश जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय हैं, यह निर्णय पूर्व में ही टाईप किया हुआ हैं, इसमे मात्र खाली स्थानो की पूर्ति के लिएनाम व खसरा नम्बर व जुर्माने का अंकन किया गया हैं, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व में ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियो के टारगेट की रिकार्ड में पूर्ति के लिए यह निर्णय जेर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 21.03.2022 में अधीनस्थ न्यायालय ने लिखा है कि "केवल सीमा ज्ञान ही एक ऐसा आधार है कि उक्त व्यक्ति का कब्जा /अतिक्रमण गैर मुमकिन तालाब पर हैं अथवा नही, अतः पत्रावली निर्णय इस अनुसार की जाती है कि पटवारी हल्का एक बार पुनःसीमा ज्ञान वक्त बेदखली की कार्यवाही कर ले एवं यदि कब्जा तालाब की भूमि पर है तो अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजस्थान सरकार द्वारा दर्ज तालाब की भूमि पर लागू नही हैं, अतः बेदखल कर दिया जावे।" इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के सामने अपीलांट का अतिक्रमण हैं या नहीं, इस संबंध में कोई भी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं थी तथा जो पटवारी हल्का अपने चाहे तरीके से एक झुठी व गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दी, उसी को मानकर तथा उसे ही उसके संबंध में तय करने के लिए अधिकृत कर दिया। जो भी न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत है कि शिकायतकर्ता को ही जज बना दिया गया। जो कतई विधि सम्मत नहीं होने से आदेश जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है तथा आदेश जेर अपील अपने आप में निर्णय की तारीफ में भी स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना बताकर निर्णय जेर अपील पारित किया है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट था कि अपीलांट को जिस भूमि पर अतिचारी बताया जा रहा हैं, उक्त भूमि नगर परिषद नागौर के कब्जे की भूमि है, जहां नगर परिषद नागौर ने जिला प्रशासन व टॉउन प्लॉनर व राज्य सरकार की सहमति से उक्त भूमि पर नगर परिषद नागौर ने कब्जा प्राप्त कर अलग अलग लोगो को भूमि विक्रय कर प्लॉन अनुसार अलग अलग लोगों को स्वीकृती दी गई व प्लॉन अनुसार ही लोगो ने

कलक्टर नागौर

मकान बनाये तथा वैधानिक लीज डीडधारी लोगो ने अपने भवन बनाये, जिससे अपीलांट किसी भी प्रकार से अतिचारी की तारीफ में नहीं आता। अगर उक्त भूमि किसी कारण से आज भी राजकीय भूमि दर्ज रह जाने में अपीलांट की कोई गलती नही है। राज्य कर्मचारियो की गलती, सजा अपीलांट को किसी भी तरीके से नही दी जा सकती तथा मामले में नगर परिषद नागौर को पक्षकार भी नही बनाया हैं, जिससे उक्त भूमि राजस्थान सरकार द्वारा नगर परिषद नागौर को आबादी बसाने के संबंध में की गई योजना में उक्त भूमि कब दी गई, उसके संबंध में नगरपालिका मण्डल नागौर में ही जानकारी उपलब्ध हैं, नगर परिषद ने उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर आगे अपीलांट व अन्य को पटटे दिये है। जिससे भी धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत मामला किसी भी तरीके से नहीं बनाया जा सकता। जिससे निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा अदालत मातहत ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया हैं, यो भी इस मामले में किसी भी तरह से लागू नही होता है तथा उक्त आदेश को मनमाने तरीके से अधीनस्थ न्यायालय ने परिभाषित किया हैं, जो भी मानने योग्य नही है।

उपरोक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुवे माननीय न्यायालय से निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.03.2022 को खारिज किया जावें।

राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस में यह कथन किया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया तथा निर्णय भी विधिवत पारित किया गया हैं। अपीलांट स्वयं ने सीमा ज्ञान करवाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया हैं। इस प्रकरण में पुनः दिनांक 12.03.23 को सीमांज्ञान करवाया जा चुका हैं तथा टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान में अपीलांट का कब्जा व मकान तालाब की भूमि पर पाया गया हैं। इसलिए पटवारी द्वारा इस प्रकरण में रिपोर्ट सही पेश की गई हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी निर्णय सही पारित किया गया हैं,जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं,इसलिए अपीलांट अपील खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि पटवारी हल्का,नागौर एवं निरीक्षक(भू0अभिलेख),नागौर द्वारा दिनांक 31.01.2022 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की हैं कि ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 267 रकबा 1352 गै0मु0 तालाब पर सुरेश विश्नोई पुत्र बगड़ाराम कौम विश्नोई निवासी संजय कॉलोनी नागौर द्वारा सम्वत् 2078 में जरिये पक्का मकान रहवासी मकान के नाजायज कब्जा कर लिया हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण 11/2022 विरूद्व श्री सुरेश विश्नोई के दफा 91 आर.एल. आर.एक्ट. दर्ज किया गया तथा इस प्रकरण में दिनांक 21.03.2022 को निर्णय पारित करते हुवे अपीलांट को भू0अभिलेख निरीक्षक व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना जाकर भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दोषी मानकर मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश दियां हैं।

पत्रावली के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गैर सायल द्वारा पेश किये गये जबाब एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत फोटो प्रति लीज डीड पत्रावली संख्या 52/85–86 के अवलोकन से प्लाट संख्या 170 क्षेत्रफल 39X69 दिनांक 26.02.1993 को 99 वर्ष लीज पर श्री सहीराम को दिया गया हैं। श्री सहीराम पुत्र खींयाराम द्वारा जरिऐ विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2018 से भूखण्ड संख्या 170 पश्चिमी भाग रकबा 149.5वर्ग गज भूमि का विक्रय श्री सुरेश पुत्र बगड़ाराम को किया हैं। उपरोक्त दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया यह प्रकट हैं कि भूखण्ड संख्या 170 नगरपालिका द्वारा सहीराम को आवंटन/लीज पर दिया गया हैं। तथा उनसे उक्त प्लोट का पश्चिमी भाग अपीलांट द्वारा जरिऐ विक्रय पत्र क्रय किया हैं। अब इस प्रकरण में मुख्य बिन्दू यह रहता हैं कि यह प्लॉट स्थित कहां हैं। क्योंकि तहसीलदार,नागौर द्वारा इस प्लॉट को गै0मु0 तालाब की भूमि में माना हैं,जबकि नगरपालिका द्वारा आबादी भूमि मानते हुवे लीज पर दिया गया हैं। हॉलाकि इस प्रकरण में तहसीलदार,नागौर के निर्णय के बाद तहसीलदार द्वारा

कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

सीमांकन करवाया गया जो फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12.03.2023 की फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध हैं,उसके साथ जो साईट प्लान पेश किया हैं,उसके अवलोकन से यह प्रकट हैं कि भू खण्ड संख्या 170 खसरा नम्बर 267 व खसरा नम्बर 255 की लगती सीमा पर हैं,इसलिए इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तय किया जाना हैं कि प्रश्नगत भूमि नगरपालिका को आबादी हेतु दी गई भूमि का भाग हैं या फिर गै0मु0 तालाब की भूमि हैं। इस प्रकार का अंकन तहसीलदार,नागौर ने भी अपने निर्णय दिनांक 21.03.2022 में किया हैं। इस बिन्दू को तय करने हेतु तहसीलदार,नागौर को नगरपालिका,नागौर को आबादी हेतु सुपुर्द की गई भूमि का राजस्व रेकार्ड/राजस्व नक्शा एवं नगरपालिका द्वारा बनायी गई कॉलोनी का साईट प्लान, उसका क्षेत्रफल आदि की स्थिति का आंकलन किया जाना हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर का जैर अपील आदेश दिनांक 21.03.2022 निरस्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार,नागौर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुवे नगरपरिषद्,नागौर की टीम एवं राजस्व विभाग की टीम के सहयोग से प्रश्नगत भूमि की सही स्थिति का आंकलन करते हुए व अप्रार्थी को विधिवत सुनवाई, साक्ष्य, सबूत आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सीरे से निर्णय पारित करे। साथ ही अपीलान्ट को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 20.09.2023 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर